भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5197
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

न्यायालयों में अवसंरचना

5197. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री धनुष एम. कुमार :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश में न्यायालयों की अवसंरचना का स्तर काफी घटिया है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है ;
(ग) क्या सरकार ने देश में न्यायालयों की अवसंरचना के स्तर की जांच करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या केन्द्र सरकार अवसंरचना के विकास हेतु कोई केन्द्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) इसके प्रारंभ से इस योजना हेतु आंवटित निधि की प्रमात्रा कितनी है ;
(च) इस योजना के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए आवासों की संख्या कितनी है ; और
(छ) देशभर में न्यायालयों की मूल अवसंरचना में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (छ) : यह राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व, है कि वह उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को न्यायिक अवसंरचना/न्यायालय कक्ष प्रदान करें । संघ सरकार, राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के क्रम, में राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के सहयोग से, न्याय पालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का क्रियान्वयन कर रही है । यह योजना 1993–94 से क्रियान्वित की जा रही है । यह, न्यायालय हालों और न्यायालय परिसरों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के निवास स्थानों के संन्निर्माण को समावेशित करती है । आज तक, इस योजना के 1993-94 में प्रारंभ से 6,986 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 3,542 करोड़ रुपये (50.70 प्रतिशत) जारी किए गए हैं । इस योजना के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 19,179 न्यायालय हॉल और 16,852 निवास स्थान, देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद

संख्या 17,971 के लिए, आज तक, उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2,818 न्यायालय हॉल और 1,856 आवासिक इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का मूल्यांकन तृतीय पक्षकार द्वारा किया गया है। मूल्यांकन अभिकरण अर्थात् राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के निष्कर्ष निम्नप्रकार हैं :-

1. न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) ने न्यायपालिका की अवसंरचना का सुधार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

2. इसने देश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में संपूर्ण न्याय प्रदान प्रणाली की क्वालिटी में सुधार करने में सहायता की है।

3. यह लंबित मामलों में कमी करने के लिए और जिला स्तर पर, मॉडल न्यायालयों और ई-न्यायालयों के तत्वों की आंशिक स्थापना के लिए भी सहायक रहा है।

केंद्रीय सरकार, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (चरण-2), (2015-19) की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम का संचालन भी कर रही है जिसके अधीन परियोजना के क्रियान्वयन में अंतर्वलित विभिन्न संगठनों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से देश भर में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) हेतु समर्थ बनाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी तक 1,670 करोड़ रुपये की कुल लागत में से सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन में अंतर्वलित विभिन्न संगठनों को आज तक 1,248 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों को जारी की गई 955.86 करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित है। देश में ई-न्यायालय परियोजना (2014) के प्रथम चरण के अंत तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 3,173 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए 16,845 हो गई है।

****